



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2004/आषाढ़ 1, 1926

No. 557]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2004/ASADHA 1, 1926

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2004

का.आ. 715(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1181, दिनांक 4 अप्रैल, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्यांक 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
“13	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2ए, सं. 7, सं. 11, सं. 19, 24 [27.62 कि.मी. से 166.65 कि.मी. (गाजियाबाद से मुरादाबाद हापुड़ और मुरादाबाद बाईपास सहित)] और 180.325 कि.मी. पर आर.ओ.बी. को छोड़कर सं. 27, सं. 58, सं. 72ए, सं. 73, सं. 74, सं. 75 [90.00 कि.मी. से 103.00 कि.मी. मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा से झांसी खण्ड को छोड़कर] राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76, सं. 86, सं. 87 [8 कि.मी. पर लघु पुल और 30.050 कि.मी. पर मुख्य पुल को छोड़कर] और सं. 92 जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24ए, सं. 29, सं. 56, सं. 91, सं. 93, सं. 96 और सं. 97।	उत्तर प्रदेश सरकार”

[फा. सं. एन.एच-14012/7/2003-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (सड़क विकास) व विशेष सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित किए गए और अंतिम बार का.आ. 710(अ), तारीख 18 जून, 2003 द्वारा संशोधित किया गया तथा और उपान्तरण का.आ. 597(अ) तारीख 18 मई, 2004 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2004

S.O. 715(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Transport number S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957, namely :—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely :—

(1)	(2)	(3)
"13.	So much of National Highways No. 2A, No. 7, No. 11, No. 19, No. 24 [excluding from km. 27.62 to km. 166.65 (Ghaziabad to Moradabad including Hapur and Moradabad bypasses) and R.O. B. at km. 180.325] No. 27, No. 58, No. 72A, No. 73, No. 74, No. 75 [excluding from km. 90.00 to km. 103.00 (section from Madhya Pradesh/Uttar Pradesh border to Jhansi)], National Highways No. 76, No. 86, No. 87 (excluding Minor bridge at km. 8 and Major bridge at km. 30.050) and No. 92 as are situated within the State of Uttar Pradesh and National Highways No. 24A, No. 29, No. 56, No. 91, No. 93, No. 96 and No. 97.]	State Government of Uttar Pradesh"

[F. No. NH-14012/7/2003-P&M]

INDU PRAKASH, Director General (Road Development) and Spl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957 and last amended vide No. S.O. 710(E) dated the 18th June, 2003 and further modified vide No. S.O. 597(E) dated the 18th May, 2004.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2004

का.आ. 716(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सारणी कहा गया है) के स्तंभ (1) में यथावर्णित राष्ट्रीय राजमार्गों की उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उनके सामने यथा उल्लिखित तत्स्थानी आर.ओ.बी. पुलों के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट पुलों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी		
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	पुल	रा.रा.पर स्थिति
(1)	(2)	(3)
राष्ट्रीय राजमार्ग 24	आर.ओ.बी.	180.325 कि.मी.
राष्ट्रीय राजमार्ग 87	लघु पुल	8 कि.मी.
	मुख्य पुल	30.050 कि.मी.

[फा. सं. एन.एच-14012/7/2003-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (सड़क विकास) व विशेष सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2004

S.O. 716(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) the Central Government hereby entrusts the Bridges specified in column (3) of the Table below (hereinafter referred to as the said table) of the corresponding ROB/Bridges as mentioned against them in column (2) of the said Table of the National Highways as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highway Number	Bridges	Location in NHs
(1)	(2)	(3)
NH24	ROB	km. 180.325
NH87	Minor Bridge	km. 8
	Major Bridge	km. 30.050

[F. No. NH-14012/7/2003-P&M]

INDU PRAKASH, Director General (Road Development) and Spl. Secy.